रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2001/वैशाख 11, 1923
No. 114] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2001/VAISAKHA 11, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2001

फा. सं. 303-4/टी आर ए आई-2001.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम सं0 24) की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत, स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि , भारत के भीतर और भारत के बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देता है :–

दूरसंचार टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2001
(2001 का क्रमांक 3)

भाग I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(i) यह आदेश, " दूरसंचार टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश 2001 " कहा जाएगा ।

(ii) यह आदेश,भारत के शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

भाग II

2- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची – II (सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवाएं) में वर्तमान खंड (14 डी) और उसकी संगत प्रविष्टियां मिटा दी जाएंगी और उनके स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाएगा :–

मद	टैरिफ
(14 डी) पूर्वप्रदत्त (प्री–पेड) सेवा केलिए टैरिफ	स्थगन या निरपेक्षता (फोरबियरेंस) बशर्ते कि : (क) प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड याने पूर्वप्रदत्त कार्डो में कम से कम एक का अंकित मूल्य 300/ – रूपये या उससे कम होना चाहिए और उसकी संगत वैधता –अवधि कम से कम एक महीना होनी चाहिए । (ख) खोए हुए या खराब हो गए याने डेमेज्ड ' सिम' कार्ड के बदले दूसरे कार्ड की कीमत, उपयुक्त बढ़त सहित लागत पर आधारित होनी चाहिए । (ग) वैधता अवधि के अंत तक यदि कुछ राशि बिना उपयोग किए रह जाती है तो उस राशि का समायोजन नए कार्ड में होना चाहिए यदि नवीनीकरण, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समुचित समय पर करवाया जाता है । (घ) पूर्व प्रदत्त कार्ड पैकेज के हर मामले में उपभोक्ता को साफतौर पर, और खासतौर पर, उस कुल राशि के बारे में बता दिया जाना चाहिए, जो उपयोगार्थ याने काल करने के लिए पूर्व प्रदत्त कार्ड पैकेज में उपलब्ध होगी ।
(14. ई) बिलिंग साइकिल सहित टैरिफ संबंधी अन्य मामले	स्थगन या निरपेक्षता (फोरबियरेंस)

भाग – III

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश के अनुलग्नक 'क ' पर, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता देता है ।

आदेशानुसार

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[विज्ञापन III/IV/142/2001/असा.]

अनुलग्नक 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

प्री–पेड या पूर्वप्रदत्त कार्डों के बारे में उपभोक्ता संगठनों से प्राधिकरण को कई शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें कई तरह की हैं जैसे प्री–पेड कार्डों की बिना उपयोग की शेष राशि, खोए गए या खराब हो गए 'सिम ' कार्डों के बदले नया सिम कार्ड बनवाने का तरीका और ' सी एम एसपी ' याने सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रशासनिक अथवा प्रोसेसिंग से जुड़े कामों पर बताए गए खर्च आदि की नीतियों से संबंधित । यद्यपि प्राधिकरण इन मामलों पर समग्रता से विचार कर रहा है तथापि निम्नलिखित मामलों पर, इस संशोधन के द्वारा, निर्णय लिया गया है ।

1. खोए गए या खराब हो गए 'सिम ' कार्ड के बदले दूसरा कार्ड बनवाने का खर्च

आजकल ऐसे मामलों में नया सिम कार्ड देने के लिए, अलग अलग आपरेटर अलग अलग राशि लेते हैं जो 200/ – रूपये से 1200/ – रूपये तक देखी जाती है । 'टी टी ओ 1999' ने, संस्थापन याने 'इन्सटालेशन' और चालू करने याने 'एक्टिवेशन ' की लागत की अधिकतम राशि 1200/ – रूपये रखी है । इस राशि में, सिम कार्ड की लागत, नेटवर्क में उपभोक्ता के पंजीकरण, एक्टिवेशन आदि के प्रभार शामिल हैं । अब अगर, 'सिम ' कार्ड की कीमत सहित एक्टिवेशन / इन्सटालेशन की ही अधिकतम सीमा 1200/ –रूपये है तो केवल 'सिम ' कार्ड के लिए ही इतनी राशि लेना उचित नहीं है । आपरेटरों द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार 'सिम ' कार्ड की कीमत आजकल 150/ – रूपये से 175/ – रूपये तक बैठती है । कुछ और अनुमानों के अनुसार तो यह लागत और भी कम याने इनके पांचवें हिस्से तक बैठती है । अतः प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हित में, यह निर्णय लिया है कि, खोए हुए या खराब हो गए सिम कार्ड के बदले नए कार्ड की कीमत जो उपभोक्ता से ली जाएगी वह, समुचित बढ़त सहित, उससे अधिक नहीं होगी जो सेवा प्रदाता को पड़ती है ।

2. प्री–पेड कार्डों का अंकित मूल्य और वैधता अवधि –

आजकल 250/ – रूपये से लेकर 5000/ – रूपये तक के अंकित मूल्य (डिनोमिनेशन वैल्यू) वाले, कई तरह के प्री–पेड सिम कार्ड मिलते हैं । उपयोग के लिए इनकी वैधता अवधि भी 15 दिन से लेकर 60 दिन तक होती है । प्राधिकरण द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि, अधिकतर आपरेटरों द्वारा जो प्री–पेड कार्ड बेचे जाते हैं उनमें से न्यूनतम अंकित मूल्य वाले 500/ – रूपये के होते हैं । 500/ – से कम के अंकित मूल्य वाले प्री पेड कार्ड बहुत कम आपरेटरों द्वारा दिए जाते हैं ।

प्रीपेड कार्डों के मामलें में आजकल जो बात अपनाई जाती है वह यह है कि वैधता अवधि समाप्त होने से पहले यदि कोई उपभोक्ता अपने प्रीपेड कार्ड को री–चार्ज नहीं करवाता, और वैधता अवधि समाप्त होने पर यदि कोई राशि शेष बच जाती है तो वह राशि व्यपगत या लैप्स हो जाती है । कुछ सेवा प्रदाता इस शेष राशि को अग्रेनीत करने की या आगे ले जाने की अनुमति देते हैं यदि उपभोक्ता वैधता अवधि के बाद, 'अनुग्रह अवधि ' या 'ग्रेस पीरियड' में अपना कार्ड री–चार्ज करवा लेता है । यह ग्रेस पीरियड आम तौर पर वैधता अवधि के बाद 15–30 दिनों का होता है । सब बातों पर गौर करने के बाद, प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि, उपयोग कम करने वाले उपभोक्ताओं केहित को देखते हुए, कम अंकित मूल्य वालेऔर समुचित वैधता अवधि के प्रीपेड कार्ड उपलब्ध होने चाहिए ताकि कार्ड की बिना उपयोग वाली शेष राशि कम से कम रहे । थोड़े समय केलिए किसी खास सेवा क्षेत्र में आने वालों के लिए भी कम अंकित मूल्य वाले प्रीपेड कार्ड अधिक सुविधाजनक होंगे ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय दिया है कि, प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड कार्डों में कम से कम एक का अंकित मूल्य 300/ – या उससे कम होना चाहिए और उसकी संगत वैधता अवधि कम से कम एक महीना होनी चाहिए । आपरेटरों को इस बात की छूट होगी कि वे वैधता अवधि 30 दिन से अधिक रखें या वैधता अवधि के बाद, ग्रेस पीरियड या अनुग्रह अवधि प्रदान करें।

3. उपयोग न हुई राशि को अग्रेनीत या ' कैरी फारवर्ड' करना

प्रीपेड उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए प्राधिकरण ने निर्णय दिया है कि, वैधता अवधि के अंत तक यदि छ राशि बिना उपयोग किए रह जाती है, और यदि उपभोक्ता समुचित अवधि के भीतर, जिसे आम तौर पर अनुग्रह अवधि ' या 'ग्रेस पीरियड ' कहाजाता है, अपना अभिदान या 'सब्सक्रिपसन ' नया करवा लेता है तो स बची हुई राशि को अग्रेनीत करने की या आगे ले जाने की अनुमति होनी चाहिए । यद्यपि कुछ सेवा

प्रदाता अभी भी यह सुविधा दे रहे हैं पर प्राधिकरण की राय में, ग्राहकों को फायदे वाली, इस सुविधा को इस उद्योग में समान रूप से अपना लिया जाना चाहिए ।

4. पारदर्शिता

प्राधिकरण ने देखा कि कुछ मामलों में, उपभोक्ता से जो कुल राशि ली जाती है उसका ठीक ठीक ब्यौरा उसे सही तरीके से नहीं बताया जाता । इस संशोधन का मंतव्य, सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य कर देना है कि प्रीपेड उपभोक्ता को उपलब्ध वार्ताकाल मूल्य याने ' टाक टाईम वैल्यू' की राशि को वे साफ तौर पर सूचित करते रहें । भविष्य में, पैकेज में ही 'टाक टाईम वैल्यू' सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) के विभिन्न घटकों को बताना, सेवा प्रदाताओं के लिए, जरूरी होगा ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2001

No. 303-4/TRAI-2001.— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (Thirteenth Amendment) Order 2001 (3 of 2001)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:

i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Thirteenth Amendment) Order 2001".

ii) The Order shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette of India.

Section II

2. In Schedule-II (Cellular Mobile Telecom Service) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, the existing clause (14.d) and corresponding entries shall be deleted and substituted to read as under: -

Item	Tariff
(14.d) – Tariff for pre-paid service.	Forbearance; Provided that – a) At least one denomination of pre-paid cards offered by every Service Provider must be for an amount of Rs.300.00 or less with a corresponding validity period of at least one month. b) The charges for replacement of lost/ damaged SIM card shall be based on cost with a reasonable mark-up. c) If there is any amount that is unused at the end of the validity period, this amount should be carried over to the renewed card, if such renewal is done within a reasonable, specified period. d) In the case of each pre-paid card package, the customer should be prominently and clearly informed of the total amount that is available in the pre-paid card package for making calls, i.e. to pay towards usage.
(14.e) – Other matters relevant to tariff including billing cycle.	Forbearance.

Section III

EXPLANATORY MEMORANDUM

This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Advisor

[ADVT. III/IV/142/2001/Exty.]

Annex A

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background:

The Authority has received a number of complaints from Consumer Organizations relating to the pre-paid cards. The complaints relate to the policy toward unused amounts on prepaid cards, provision of replacement of SIM Cards against lost/damaged Sim Cards and the charges specified for items like administrative/or processing by CMSPs. While the Authority is examining the issues in a comprehensive manner, it has decided to address following issues through this Amendment :

1. **Charges for replacement of lost/damaged SIM Card.**

At present, operators charge varying amounts that range between Rs.200.00 to Rs.1200.00 for replacement of SIM cards. TTO 1999 has prescribed a ceiling of Rs.1,200.00 for activation/installation charges. This amount accounts for costs relating to provision of SIM card, registration of the subscriber in the network, activation charges etc. In a situation where the activation/installation charge itself is limited to Rs.1200.00 which also includes the cost of SIM card, a charge of Rs.1200.00 for the SIM card by itself is not justified. According to estimates provided by operators the cost of the SIM Card at present varies between Rs.150.00 to Rs.175.00. Some other estimates place it much lower, at only about one-fifth of these estimates. The Authority has, therefore, decided in consumer interest, that the charge to be levied from subscribers for replacement of lost/damaged SIM card shall not exceed the cost to the service provider plus a reasonable mark-up.

2. **Denomination value and validity period for pre-paid cards:**

At present the pre-paid SIM Cards of various denominations ranging from Rs.250.00 to Rs.5000.00 are available. The validity period for use of SIM Cards varies from 15 days to 60 days. A study conducted by the Authority showed that the minimum denomination value of pre-paid cards sold by **most** operators is Rs.500.00, and very few operators offer denominations of less than Rs.500.00.

The current industry practice in pre-paid cards is that if a residual amount obtains at the end of the validity period, it lapses i.e. the subscriber loses that amount unless he recharges the pre-paid card within the validity period. Certain service providers allow the balance amount to be carried over if the subscriber recharges the card during a 'grace period' that is generally 15-30 days beyond the validity period.

All things considered, the Authority is of the view that in the interest of low-user subscribers, pre-paid cards of lower denominations with a reasonable validity period should be available so that the unused value on the card is restricted to the minimum possible. Visitors to a particular service area for a limited period could also find pre-paid cards of smaller denomination more convenient.

In view of the above, Authority has decided that at least one denomination of pre-paid cards offered by every Service Provider must be for an amount of Rs.300.00 or less with a corresponding validity period of at least one month. The operators are free to provide validity period beyond 30 days or grace period after expiry of validity period.

3. **Carry Forward of Unused Amount** :

Keeping in view the interest of pre-paid subscribers, the Authority has decided that any unused amount that obtains at the end of the validity period should be credited to the subscriber in cases where the subscriber renews subscription within a reasonable period, which is generally referred to as "Grace Period". Although certain service providers already offer such a facility, the intention of the Authority is to make this customer friendly practice uniform across the industry.

4. **Transparency** :

The Authority has noticed that in certain cases subscribers are not suitably informed of the break-up of the total amount charged from them for the pre-paid service. This Amendment makes it mandatory for service providers to prominently display the amount of talk time value available to a pre-paid subscriber. Thus, service providers will be required to specify various components of maximum retail price (MRP) including talk time value, on the package itself.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.